



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1943 (श०)

(सं० पटना 558) पटना, बृहस्पतिवार, 1 जुलाई 2021

वाणिज्य-कर विभाग

1 जुलाई 2021

एस० ओ० 109 दिनांक 1 जुलाई 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 के साथ पठित धारा 37 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 206 दिनांक 23 दिसंबर 2020, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 970 दिनांक 23 दिसंबर 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में परंतुक के बाद, निम्न परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् –

“परंतु यह भी कि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं, माह अप्रैल 2021 की कर अवधि के लिए, उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के ब्यौरों को प्रस्तुत करने की समय सीमा को उक्त कर अवधि के उत्तरवर्ती माह के छब्बीसवें दिन तक बढ़ाया जाता है।”

[(सं० सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-9)1104)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

1 जुलाई 2021

एस० ओ० 109, दिनांक 1 जुलाई 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०—बिक्री—कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-9)1104)]

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव।

***The 1st July 2021***

S.O. 109, dated 1st July 2021— In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 37 read with section 168 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 206 dated the 23<sup>rd</sup> December, 2020, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 970 dated the 23<sup>rd</sup> December, 2020, namely:—

In the said notification, after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the time limit for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** of the said rules for the registered persons required to furnish return under sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the tax period April, 2021, shall be extended till the twenty-sixth day of the month succeeding the said tax period.”.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9)1104)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 558-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>